रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2011/श्रावण 20, 1933
No. 456] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2011/SRAVANA 20, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2011

सा.का.नि. 619(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 25 व धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में नियम 5 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'5. **अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तथा उसके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध.**—(1) सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पाद के बिक्री स्थल का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि,—

(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के बिक्री स्थल के प्रवेश द्वार पर "उपाबंध-I" में यथा विनिर्दिष्ट चेतावनी वाला एक बोर्ड लगा हो तथा बोर्ड के सभी घटक बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे इन नियमों के साथ लगी कॉम्पेक्ट डिस्क (सी डी) में प्रदान की गई सॉफ्ट कॉपी में हैं :

बशर्ते कि ऐसे बोर्ड पर सिगरेट अथवा अन्य किसी भी तम्बाकू उत्पाद का कोई भी विज्ञापन अथवा प्रोत्साहन संदेश अथवा चित्र अथवा छवि नहीं होगी ।

(ख) वेंडिंग मशीन के जरिए कोई भी तम्बाकू उत्पाद न बेचा जाए ;

(ग) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तम्बाकू उत्पाद का न तो प्रहस्तन किया जाएगा अथवा न ही बेचा जाएगा;

(घ) तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित न किया जाए जिससे अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद सहजता से सुलभ हों ।

(2) इस बात को सिद्ध करने कि तम्बाकू उत्पाद का खरीददार अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं है, का उत्तरदायित्व तम्बाकू उत्पादों के विक्रेता का है तथा विक्रेता संदेह की स्थिति में खरीददार से अठारह वर्ष की आयु पूरी होने संबंधी उपयुक्त साक्ष्य अथवा आयु का प्रमाण प्रदान करने हेतु अनुरोध कर सकता है ।'

3. प्राधिकृत 5 को इस प्रकार से संशोधित करने के उपरांत निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'6. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माने की वसूली: उपाबंध II में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के उल्लंघन में किए गए अपराधों का प्रशमन करने तथा कार्रवाई करने के लिए सक्षम होंगे'।

4. नियमों के अंत में निम्नलिखित उपाबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

उपाबंध I

[नियम 5(1) (क) देखें]

1. बोर्ड का अधिकतम आकार 60 सें.मी. × 30 सें.मी. होना चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए ।

2. बोर्ड पर भारतीय भाषा (भाषाओं) में, जैसा भी लागू हो, यह चेतावनी लिखी हुई हो "अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है" तथा स्वास्थ्य पर तम्बाकू उपयोग के दुष्प्रभाव का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया हो ।

उपाबंध II

(नियम 6 देखें)

क्रम सं.	कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति
1.	शैक्षणिक संस्थान के कुलपति अथवा निदेशक अथवा प्रॉक्टर अथवा प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी
2.	श्रम विभाग से सहायक श्रमायुक्त
3.	खाद्य एवं औषध विभाग के राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन में उप निरीक्षक रैंक के सभी अधिकारी
4.	शिक्षा विभाग से निरीक्षक के रैंक के सभी अधिकारी
5.	पुलिस उप निरीक्षक अथवा ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारी
6.	निगम स्वास्थ्य अधिकारी
7.	पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि (अध्यक्ष अथवा सरपंच अथवा पंचायत सचिव)
8.	जिला कार्यक्रम प्रबंधक अथवा वित्त प्रबंधक-जिला स्वास्थ्य सोसायटी (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)
9.	जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) के चिकित्सा अधिकारी
10.	खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड विस्तार शिक्षक (बीईई)
11.	राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक
12.	राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य एवं जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी ।

[फा. सं. पी.-16017/20/2009-पीएच-I]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम दिनांक 25 फरवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 137 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इन्हें दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) तथा दिनांक अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 656(अ) के तहत संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2011

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred by Section 25 and Section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely :—

'5. **Prohibition on sale of tobacco products to and by persons below the age of eighteen years.** — (1) The owner or the manager or the in-charge of the affairs of a place where cigarettes or other tobacco products are sold shall ensure that,—

(a) a board with a warning as specified in "Annexure I" is displayed at the entrance of the place where cigarettes or other tobacco products are sold and all the components of the board should appear in a manner exactly as in the soft copy provided in the compact disk [CD] accompanying these rules:

Provided that such board shall not have any advertisement or promotional messages or pictures or images of cigarettes or any other tobacco products.

(b) no tobacco product is sold through a vending machine;

(c) no tobacco product is handled or sold by a person below the age of eighteen years;

(d) tobacco products are not displayed in a manner that enables easy access of tobacco products to persons below the age of eighteen years.

(2) The onus of proof, that the buyer of the tobacco product is not a person below the age of eighteen years lies with the seller of the tobacco products and the seller in case of doubts may request the buyer to provide appropriate evidence or age proof of having reached eighteen years of age'.

3. After rule 5 as so amended, the following rule shall be inserted, namely: —

'6. **Recovery of Fine by authorized officers.** — The authorised officers mentioned in Annexure II shall be competent to act under and compound the offences committed in violation of clause (a) and clause (b) of section 6 of the Act'.

4. At the end of the rules, the following Annexures shall be inserted, namely: —

ANNEXURE I

(See Rule 5(1)[a])

1. The Board shall be of a minimum size of 60 cm by 30cm of white background.

2. The Board shall contain the warning "sale of tobacco products to a person below the age of eighteen years is a punishable offence", in Indian language(s) as applicable and a pictorial depiction of the ill-effects of tobacco use on health.

ANNEXURE II

(See Rule 6)

Serial No.	Person authorised to take action
1.	Vice Chancellor or Director or Proctor or Principal or Headmaster or In-Charge of an Educational Institution
2.	Assistant Labour Commissioner from the Department of Labour
3.	All officers of the rank of Sub-Inspector in State Food and Drug Administration from the Department of Food and Drugs
4.	All officers of the rank of Inspectors from the Department of Education
5.	All police officers of the rank of Sub-Inspector of Police and above
6.	Municipal Health Officers
7.	Representatives of Panchayati Raj Institutions (Chairperson or Sarpanch or Panchayat Secretary)
8.	District Programme Manager of Finance Manager—District Health Society (National Rural Health Mission)
9.	Civil Surgeon or Chief Medical Officer at District Hospital or Medical Officer at Primary Health Centre (PHC)
10.	Block Development Officer, Block Extension Educator (BEE)
11.	Director or Joint Director Department of Health, and Department of Education in the State Government
12.	Nodal Officers of State and District Tobacco Control Cell under National Tobacco Control Programme

[F. No. P-16017/20/2009-PH-I]

B.K. PRASAD, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 137, dated the 25th February, 2004 and were subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 345(E) dated the 31st May, 2005, and *vide* number G.S.R. 656(E) dated 20th October, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.